बेची जा रहीं झारखंड की बेटियां

इधर बाल कल्याण के क्षेत्र में काम कर रही संस्था एटसेक के मुताबिक अभी भी झारखंड से 1. 23 लाख लड़कियां बाहर हैं. अगर दबीश बढ़े तो कई लड़कियां अपने घर वापस आ सकती है. पलायन के क्षेत्र में काम कर रही संस्था भारतीय किसान संघ के अनुसार राज्य से रोजगार की तलाश में प्रतिवर्ष लगभग 33 हजार किशोरियां झारखंड से पलायन कर रही हैं. इनमें से 10 प्रतिशत किशोरियां दलालों के चंगुल में फंस जाती हैं. जिन्हें बाद में महानगरों में मानव व्यापार का शिकार बनना पड़ता है.

रश्मि शर्मा

स्वतंत्र पत्रकार

जब मैं मनोरमा की बात सुन रही थी, तब मैं यह सोच रही थी कि क्या मैं अपने बच्चों को बता सकती हूं कि बेटा– हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, जहां हमारी बहनें बाजार में बिकती हैं. मैं उन्हें बताने की सोच से कांप गयी.

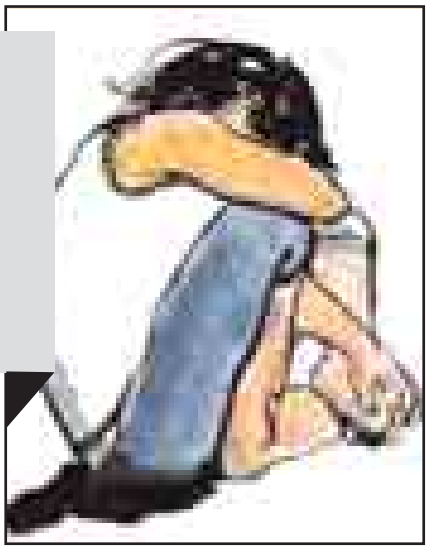

एक दौर था जब दास प्रथा या गुलामी प्रथा समाज में मान्य थी. अमीर लोग कुछ पैसे देकर इनसानों की बोली लगाते थे. उसके बाद उम्र भर के लिए गुलाम बना कर रखते थे. वक्त बदला, दौर भी. लोग शिक्षित और आधुनिक होते गए. सामाजिक कुप्रथाओं को उखाड़ कर फेंका गया. इसी समय गुलामी की प्रथा भी समाप्त हो गयी. नये जमाने में नये गुलाम बनाने की तरकीब निकाली गयी.

अभी हम 21वीं शताब्दी में हैं. अत्याधुनिक हैं, परिपूर्ण हैं, विचार से, विज्ञान से, संसाधन से और नित नवीन उन्नति के रास्ते तय कर रहे हैं. और इन्हीं सब के ठीक नीचे एक ऐसा अनैतिक और असभ्य व्यापार चल रहा है, जिसे हम मानव तस्करी कहते हैं. और इस मानव तस्करी का सबसे बड़ा क्षेत्र है झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल और ओडिशा. इन क्षेत्रों से सबसे ज्यादा आदिवासी लड़कियों का पलायन होता है, जो कालजनित परिस्थितियों की उपज है. मगर कालांतर में अब यह तस्करी के रूप में परिवर्तित हो गया है. या कह लें कि बेची जा रही हैं आदिवासी बेटियां. यूरोप के गोरे लोग तो अफ्रीका से काले रंग के लोगों को गुलाम बनाकर लाए थे. लेकिन हमारे यहां अपने ही खून और रंग के लोगों के साथ अमानवीयता की सारी हदें पार करना, हमें क्यों नहीं कचोटता, यह सवाल मुझे बार-बार परेशान किए हुए है.

लोहरदगा में 2003 से काम कर रही स्वयंसेवी संस्था होप की मनोरमा एक्का कहतीं हैं - इस सभ्य समाज में आदिवासी लड़कियों की कोई कीमत नहीं. पिछले वर्ष दिसंबर 2012 में दिल्ली में क्रिसमस मेला लगा था, जहां खुलेआम आदिवासी बेटियों की बोली लगायी गयी. एक से डेढ़ लाख की कीमत लगाकर सभ्य कहलाने वाले लोगों ने खरीद लिया लड़कियों को. मंडी लगाकर बेचा गया. अखबारों में खबर भी आयी. मगर क्या परिणाम निकला. झारखंड से लेकर दिल्ली तक की सरकार ने क्या कार्रवाई की. क्या हर आदिवासी चेहरा खरीदा और बेचा जा सकता है.

जब मैं मनोरमा की बात सुन रही थी, तब मैं यह सोच रही थी कि क्या मैं अपने बच्चों को बता सकती हूं कि बेटा- हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां हमारी बहनें बाजार में बिकती हैं. मैं उन्हें बताने की सोच से कांप गयी. मैं अपने बच्चे को यह नहीं बता पाउंगी, पर यही है हकीकत.

हर साल लड़कियां बाहर भेजी जा रही हैं. कुछ दलाल ले जाते हैं तो कुछ को वहीं ले जाती हैं जो पहले से कहीं बाहर काम कर रही हैं. लोहरदगा जिले से अभी तक 200 लड़कियां बाहर जा चुकी हैं. पहले से बाहर गयी लड़कियां सुनहरे भविष्य और शहरी चमक-धमक दिखाकर गांव की बालिकाओं को फुसला लेती हैं. अर्थात जो पहले बाहर गयी, वही लड़की वापस आकर दलाल का काम करती हैं. कुछ लड़कियां अपने मन से जाती हैं तो कुछ परिजनों के दबाव से भी. चूंकि गांव में कमाई का कोई साधन नहीं और न ही सरकार इस ओर ध्यान दे रही है. मजबूरी में भी पलायन होता है. बाहर जाने वाली लड़कियों का कोई निश्चित डाटा न सरकार के पास होता है न ही किसी संस्था के पास.

झारखंड और छत्तीसगढ़ में पलायन की समस्या बड़ी तेजी से 30-35 वर्षों में उभरकर सामने आयी है. अधिकारिक तौर पर घोषित कोई आंकड़ा तो नहीं मिल पाता है मगर अनुमान है कि केवल झारखंड के गुमला, सिमडेगा, खूंटी और रांची जिले से लगभग 25,000 लड़कियां दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु भोपाल और मुंबई आदि शहरों में पलायन कर चुकी हैं.

किशोरियों का सर्वाधिक पलायन सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, रांची, पाकुड़, साहिबगंज, दुमका, गोड्डा तथा गिरिडीह जैसे आदिवासी बहुल इलाकों से होता है. अगर रांची की बात करें तो रनिया, चान्हो, मांडर, अड़की, मुरहू, ओरमांझी, कांके, पिठौरिया क्षेत्रों में बिचौलिये हावी हैं.

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ढाई से तीन लाख लड़कियां महानगरों में घरेलू दाई व आया का काम करती हैं.

छत्तीसगढ़ से जशपुर, सरगुजा और कुनकुरी क्षेत्र में पलायन की घटनाएं अधिकतर होती हैं. वहां की स्थिति भी झारखंड जैसी ही है. झारखंड बनने के बाद तीन लाख लड़कियों को पलायन हो चुका है. झारखंड से पलायन कर ये अन्य राज्यों में नौकरानियों का काम करती हैं.

खूंटी जिले के हेसाहातू का देवका पिछले छह सालों से अपनी लापता बेटी की तलाश में भटक रहा है. वह अपनी बेटी की तलाश में दिल्ली तक भी हो आए मगर उनकी बेटी का पता नहीं चल पा रहा. उनके पास तीन रजिस्टर हैं जिनमें खूंटी जिले के मूरहू, तोरपा, अड़की और रनिया प्रखंड की 250 बेटियों के नाम व पते तसवीर सहित दर्ज हैं, जिसमें उनकी बेटी मीना भी शामिल है.

देवका महतो अपनी बेटी की तलाश में दलाल के साथ दिल्ली जा रहे थे. उसी वक्त पुलिस दबीश की खबर पाकर अपना बैग दलाल के पास ही छोड़कर भाग गये. रजिस्टर में बेटियों की सौदेबाजी का सारा चिट्ठा दर्ज है. अगर इसकी छानबीन की जाए तो कई लड़कियों का पता चल सकता है. सबसे बुरी बात यह कि देवका इन दस्तावेजों को लेकर वे कभी पुलिस के पास नहीं गये. क्योंकि उन्हें यकीन नहीं कि पुलिस उनके लिए कुछ कर सकती है.

इधर बाल कल्याण के क्षेत्र में काम कर रही संस्था एटसेक के मुताबिक अभी भी झारखंड से 1.23 लाख लड़कियां बाहर हैं. अगर दबीश बढ़े तो कई लड़कियां अपने घर वापस आ सकती हैं. पलायन के क्षेत्र में काम कर रही संस्था भारतीय किसान संघ के अनुसार राज्य से रोजगार की तलाश में प्रतिवर्ष लगभग 33 हजार किशोरियां झारखंड से पलायन कर रही हैं. इनमें से 10 प्रतिशत किशोरियां दलालों के चंगुल में फंस जाती हैं. जिन्हें बाद में महानगरों में मानव व्यापार का शिकार बनना पड़ता है. जिसके बाद उनका परिवार से संपर्क टूट जाता है. ऐसी किशोरियों का विभिन्न संस्थानों पुलिस और सरकारी विभागों के सहयोग से पता लगाकर उन्हें छुड़ाया जाता है. भारतीय किसान संघ प्रतिवर्ष लगभग 100 ऐसी किशोरियों को मुक्त कराता है. इन किशोरियों को बाद में बेहतर पुनर्वास की व्यवस्था संस्था कराती है.

उधर आशा (एसोशिएसन फॉर सोशन एंड हयूमन अवेयरनेस) के सचिव अजय भगत कहते हैं कि आठ जिले के 37 पंचायतों के सर्वेक्षण से जो आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ, उस अधार पर हम यह कह सकते हैं कि 42 हजार बच्चे प्रतिवर्ष पलायन करते हैं. और ऐसे बाहर जाने वाले लोगों का कोई लिखित आंकड़ा हमें नहीं मिल पाता. बताते हैं कि रांची सदर की झुग्गी-झोपड़ी बोरकोच्चा, जगन्नाथपुर, धुर्वा, न्यूकॉलेनी और मौसीबाड़ी में सर्वे किया गया और नामकुम प्रखंड की पलायन करने वाली लड़कियों की जब सूचि एकत्र की गयी, उनमें से 109 लड़कियां ऐसी हैं, जिनका कोई अता-पता नहीं, यानी लापता हैं. अब उनकी खोज की जा रही है. संस्था ने 19 लड़कियों के लिए जनिहत याचिका दायर की है. संस्था आशा ऐसी लड़कियों को ढूंढने और उन्हें वापस लाने के कार्य में लगी हुई हैं. अजय भगत की मानें तो पूरे भारत में करीब ढाई लाख आदिवासी महिलाओं और युवतियों का पलायन प्रतिवर्ष होता है और ऐसी लड़कियों की संख्या दिल्ली में करीब 60000 और मुंबई में 20000 के आसपास है. अजय भगत का मानना है कि वे पलायन के खिलाफ नहीं, असुरिक्षत पलायन के खिलाफ हैं. अगर बेहतर भविष्य और रोजगार की तलाश में युवा बाहर जाते हैं, तो उन्हें रोकना भी नहीं चाहिए. मगर चिंताजनक बात यह है कि इस क्षेत्र से आदिवासी बचियां बाहर ले जायी जाती हैं, और वो इतनी अबोध होती हैं कि उन्हें झारखंड और दिल्ली की दूरी व लोगों की मानिसकता का पता नहीं होता. इसलिए वो यातना का शिकार होती हैं मगर घर का पता नहीं मालूम होने के कारण लौट के नहीं आ पातीं. इसलिए गांव के लोगों को जागृत करना आवश्यक है.

मानव तस्करी की शिकार झारखंडी युवतियों की दशा पर बात करने से जानी-पहचानी समाजसेवी सिस्टर जेम्मा उत्तेजित होकर जवाब देती हैं कि - झारखंड में सिर्फ बात करते हैं लोग. कोई नहीं सोचता इन आदिवासी लड़कियों के बारे में. मैं मदर टेरेसा के वक्त से ही इन लोगों के लिए काम कर रही हूं. मगर दूर तक कोई नहीं साथ देता. पर, मैंने खूंटी से अपने कार्य की शुरुआत की है. लड़कियों और गांव वालों को जागरूक करने का अभियान चला रही हूं. मगर जब तस्करी कर ले जा रही लड़कियों का पता चलता है, तो उन्हें छुड़ाने के लिए मैं रात में भी दौड़ जाती हूं, मगर न कोई व्यक्ति साथ देता है और न ही कोई संस्था. सरकारी अमला सजग हुआ है पर इस दिशा में और काम करने की जरूरत है.

हमलोगों को गांव-गांव घूमकर लोगों को जागृत करना होगा. चूंकि झारखंड में रोजगार का अभाव है, इसलिए लड़कियां काम की तलाश में जाएंगी ही. दलाल फुसलाकर इन्हें महानगरों में ले जाते हैं. इन दिनों तो हरियाणा में झारखंड की ज्यादातर लड़कियां ले जायी जा रही हैं. वहां के लोग झारखंडी लड़कियों को खरीदकर शादी कर लेते हैं. क्योंकि वहां लड़कियों की कमी है. रांची स्थित उर्सूलाइन स्कूल की हॉस्टल में रख कर लड़कियों को प्रशिक्षित किया जाता है और उनके भविष्य को सुरक्षित रखते हुए रोजगार प्रदान किया जाता है. जरूरत है कि सरकार इस ओर ठोस कदम उठाए और प्रत्येक नागरिक इस बात को समझे कि आखिर उनके प्रदेश की लड़कयां किस यातना से गुजरती हैं.

लड़कियों को गांवों से ले जाने से लेकर शहरों में काम दिलवाने तक एक पूरी कड़ी जुड़ती नजर आती है. दलाल और प्लेसमेंट एजेंसियों के शोषण की शिकार इन लड़कियों की मदद के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं और न ही गांवों में शिक्षा व रोजगार का ताना-बाना बुना जा रहा है , जिससे इस स्थिति में निकट बदलाव की कोई उम्मीद हो. इन दोनों ही स्तर पर प्रयास की जरूरत है. हमें गांवों को, उसकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा और साथ ही ऐसे कड़े उपाय करने होंगे, जिससे दलालों को कृत्यों पर भी रोक लगे.

(यह रिपोर्ट इनक्लूसिव मीडिया फैलोशिप 2013 के अध्ययन का हिस्सा है)

सावन बदी एकादशी, जेतो रोहिणी होय, तेतो अनाज ऊपजै, चिंता करो न कोय.

(सावन बदी एकादशी को जितने घड़ी की होगी, उतने ही सेर की दर से अनाज बिकेगा, इसलिए चिंता करना व्यर्थ है.)